संख्या- 7 /2023/425/23-2-23/001-06 sa 2023

प्रेषक,

अभय कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास एवं विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2023

विषयः- जनपद महराजगंज एवं जनपद चित्रकूट में अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय मार्गों पर बहुउद्देशीय हब के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2/2023/90/23-2-23/001-06 (सा0)/2023 दिनांक 07.03.2023 एवं शुद्धि पत्र संख्या-4/2023/90(1)/23-2-23-06 (सा0)/2023 दिनांक 16.03.2023 के क्रम में मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्र संख्या-3738/सीई-एचक्यू1 /आईएससीएचयूबी/जीकेपी/ 2022-23 दिनांक 28.03.2023 एवं पत्र संख्या-3739/सीई-एचक्यू1 /आईएससीएचयूबी/बीएएन/ 2022-23 दिनांक 28.03.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद महराजगंज में सौनौली-नौतनवा-गोरखपुर मार्ग एन0एच0-24(29ई) पर अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय मार्ग पर बहुउद्देशीय हब के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की धनराशि रू0 2931.75 लाख एवं जनपद चित्रकूट में सतना-चित्रकूट-कर्वी मार्ग पर बहुउद्देशीय हब के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए धनराशि रू0 3879.90 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 2931.75+3879.90=6811.65 लाख (रूपये अड़सठ करोड़ ग्यारह लाख पैसठ हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1)- प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/कार्यालय ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त्पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के संपरीक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वर्क्स से संबंधित बजट के ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022 दिनांक 04.05.2022 तथा कार्य मदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किये जाने के संबंध में वित्त((लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95 दिनांक 13.04.2022 में निहित व्यवस्था /शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्यां-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07-जून-2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या -23/2022 /बी-1-749/दस-2022-231/2022 दिनांक 04.11.2022 में निहित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6)- यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(7)- उक्त परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश संख्या-2/2023 /90/23-2-23/001-06(सा0)/2023 दिनांक 07.03.2023 एवं शुद्धि पत्र संख्या-4/2023/90(1) /23-2-23-06 (सा0)/2023 दिनांक 16.03.2023 की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे तथा मूल शासनादेश की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 68,11,65,000 (रुपये अड़सठ करोड़ ग्यारह लाख पैंसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043371352 अन्तर्राज्यीय / अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग पर प्रदेश की सीमा के अन्दर बहुउददेशीय हब का निर्माण **मानक मद** 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या- 7 /2023/425/23-2-23 /001-06 sa 2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल एवं चित्रकूट धाम मण्डल।
4- जिलाधिकारी, गोरखपुर एवं चित्रकूट ।
5- मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र एवं चित्रकूट धाम क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर एवं चित्रकूट।
6- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, महराजगंज।
7- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चित्रकूट।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- वेब अधिकारी प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/11
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8 उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजय प्रकाश मौर्य)
अनु सचिव।